छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1042/2008

1. श्री इंदरचन्द सोनी, – *अपीलार्थी*
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय जेल मुख्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 09 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, जेल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 10.06.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 29.07.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का निपटारा निर्धारित समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 22.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के तर्कों को सुना गया । पूर्व में जन सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया था कि दिनांक 10.06.2008 का आवेदन दिनांक 24.06.2008 को प्राप्त हुआ था, जो कार्यालयीन रूप से उनके समक्ष दिनांक 30.07.2008 को प्रस्तुत किया गया और संबंधित शाखाओं से जानकारी एकत्रित करने के कारण समयावधि में जानकारी नहीं दी जा सकी । प्रथम अपील में अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बुलाया गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये और दिनांक 24.12.2008 को आवेदक को पृष्ठ 10 से 151 तक की जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई । अपीलार्थी ने अपने तर्क में बताया कि उन्हें विलंब से अप्रमाणित जानकारी दी गई, अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब पूर्ण जानकारी एक सप्ताह में प्रमाणित करके दी जावे । साथ ही दिनांक 10.06.2008 को कोरियर से आवेदन भेजा गया था जो दिनांक 16.06.2008 को कार्यालय में प्राप्त हुआ और बाद में दिनांक 30.07.2008 को जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना बता रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि जेल मुख्यालय में कार्यालयीन व्यवस्था समुचित रूप से नहीं है, जिससे पत्रों के निराकरण में विलंब होता है, अतः महानिदेशक, जेल को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार के आवेदनों के समुचित निराकरण के लिए अपने कार्यालय में उचित व्यवस्था करें । साथ ही प्रकरण में जिस कर्मचारी द्वारा विलंब किया गया है, उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अनुशंसा की जाती है । चूंकि जानकारी विभिन्न शाखाओं से प्राप्त करने में विलंब होना बताया गया है जिसके कारण जानकारी समयावधि में नहीं दी जा सकी, उसके पीछे जन सूचना अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं है, अतः इस प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com